

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), मध्यप्रदेश,
आडिट भवन, झाँसी रोड, ग्वालियर

No./Admn./LC/Trng./Misc.Trng./F-128/

दिनांक: -21.01.2026

संशोधित कार्यालय आदेश-208

पूर्व में जारी कार्यालय आदेश क्र. 141, दिनांक 24.10.2025 के द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा - प्रथम), मध्य प्रदेश, ग्वालियर में कार्यरत श्री नवीन बैरवा, स.ले.प.अ. (वाणिज्यक) का चयन ICAI's Centre of Excellence (CoE), हैदराबाद में दिनांक 27.10.2025 से 28.11.2025 तक आयोजित होने वाले "Entry Level Certification Course" हेतु किया गया था।

Shri Navin Bairwa, Assistant Audit Officer (Commercial), working in the Office of the Principal Accountant General (Audit-I), Madhya Pradesh, Gwalior, was selected via previously issued Office Order No. 141, dated 24.10.2025 for the "Entry Level Certification Course" scheduled to be held from 27.10.2025 to 28.11.2025 at ICAI's Centre of Excellence (CoE), Hyderabad.

इस सम्बन्ध में लेख है कि उक्त प्रशिक्षण दिनांक 28.11.2025 के स्थान पर दिनांक 27.11.2025 को समाप्त हो गया था। तदनुसार श्री नवीन बैरवा का ICAI's Centre of Excellence (CoE), हैदराबाद के लिए संशोधित दौरा कार्यक्रम मिनानुसार है:-

In this regard, it is stated that the aforementioned training concluded on 27.11.2025 instead of 28.11.2025. Accordingly, the revised tour program of Shri Navin Bairwa for ICAI's Centre of Excellence (CoE), Hyderabad, is as follows:


स. क्र.	प्रशिक्षण का विषय	अधिकारी का नाम	प्रशिक्षण की अवधि	ग्वालियर से हैदराबाद हेतु प्रस्थान	हैदराबाद से ग्वालियर हेतु प्रस्थान (प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात्)
1.	Entry Level certification course	1. Shri Naveen Bairwa, AAO (Comm,) AMG-4	27.10.2025 to 27.11.2025	25.10.2025 or 26.10.2025	27.11.2025 or 28.11.2025

हस्ता/-

उप महालेखाकार/ प्रशासन

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु:-

1. सचिव/ प्रधान महालेखाकार,
2. उप महालेखाकार/ AMG-4
3. सचिव, उप महालेखाकार/ प्रशासन,
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ SMU
5. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ IS Wing - कृपया उक्त कार्यालय आदेश को इंटरनेट एवं इंटरनेट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
6. श्री नवीन बैरवा, स.ले.प.अ. (वाणिज्यक)
7. सूचना पटल।



वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/विधि कक्ष